[2019] 13 S.C.R. 489

पश्चिम बंगाल राज्य

बनाम

इन्द्रजीत कुन्दु तथा अन्य

(क्रिमीनल अपील सं0 2181/2009)

अक्टूबर 10/ 2019

[इन्दु मल्होत्रा तथा आर सुभाष रेड्डी, जे0 जे0]

दण्ड संहिता 1860- धारा- 306 आर/डब्ल्यू धारा- 34- आत्म हत्या का दुष्प्रेरण- कब नहीं- पीड़िता, वास्तव में शिकायतकर्ता की पुत्री पेंटर व आर्टिस्ट थी।- अंग्रेजी में उसकी दक्षता में सुधार करने के लिये, पहले उत्तरदाता को उसके अंग्रेजी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।- उत्तरदाता सं0 2 तथा 3 प्रथम उत्तरदाता के अभिभावक हैं ।- पीड़िता और प्रथम उत्तरदाता के बीच घनिष्ठता विकसित हुयी ।- शिकायतकर्ता का आरोप है कि चूँकि पीड़िता और पहले उत्तरदाता ने शादी करने का फैसला किया था, इसलिए पीड़िता शादी के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए 05.03.2004 को पहले उत्तरदाता के घर गई, तो उत्तरदाता नं0 2 और 3 बाहर आये और पीड़िता को काWल गर्ल कहकर चिल्लाने लगे।- दिनांक- 06.03.2004 को पीड़िता ने आत्महत्या कर ली ।- उत्तरदाता सं0- 1-3 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।- उत्तरदाता ने उन्मोचन के लिए आवेदन दायर किया ।- अस्वीकार कर दिया।- इसके बाद उत्तरदाता ने सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा- 482 के तहत आवेदन दायर किया।- उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी बिन्दु उठाने का निर्देश दिया।- आरोप विरचित करने के चरण में उत्तरदाता ने यह दावा करते हुये आपत्ति जताई कि उनके खिलाफ आरोप विरचित करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।- अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह कहते हुए आपत्तियों को खारिज कर दिया कि चूँकि आरोपी को दोषी ठहराये जाने की संभावना है, इसलिये आरोप विरचित किये जा सकते हैं ।- उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया।- अपील पर, आयोजितः, उत्तरदाताओं पर धारा 306/34 के तहत आरोपों के लिए कार्यवाही करने की माँग की गई है, जो मुख्य रूप से मृत लडकी द्वारा लिखे गये आत्महत्या पत्रों और जाँच के दौरान दर्ज किये गए बयानों पर निर्भर है।- यहाँ तक कि वास्तविक शिकायतकर्ता, उत्तरदाता संख्या 2 और 3 के मामले के अनुसार पहले उत्तरदाता के माता-पिता ने मृत लड़की पर चिल्लाते हुये उसे काWल गर्ल कहा ।- ऐसी सामग्री धारा- 306/34 के तहत अपराध का आरोप विरचित करके मुकदमें को आगे बढ़ने के लिये पर्याप्त नहीं है ।- मौजूदा मामला उत्तरदाताओं द्वारा कथित तौर पर किए गए उकसावे की कोई तस्वीर पेश नहीं करता है ।- पीड़ित द्वारा की गई आत्महत्या को उत्तरदाताओं की ओर से किसी भी कार्यवाही का परिणाम नहीं कहा जा सकता है और न ही ऐसा हो सकता है ।

ने कहा कि उत्तरदाताओं की कार्यवाही के कारण पीड़िता द्वारा आत्महत्या करना ही उसके लिए एकमात्र विकल्प था ।- किसी भी उत्तरदाता द्वारा पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए उकसाया या सिफारिश या आग्रह नहीं किया गया था ।- उच्च न्यायालय के सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप की अपील की कोई योग्यता नहीं है ।- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973- एस एस 401,482 न्यायालय ने अपील खारिज करते हुये कहा-

(1) उत्तरदाताओं से मुख्य रूप से मृत लड़की द्वारा लिखे गए आत्महत्या पत्रों और जाँच के दौरान दर्ज किये गए बयानों पर भरोसा करते हुये आई पी सी की धारा- 306/34 के तहत आरोप लगाने की माँग की गई है ।

यहाँ तक कि वास्तविक शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार उत्तरदाता संख्या 2 और 3, जो पहले उत्तरदाता के माता पिता हैं, मृत लड़की पर चिल्लाते हुये उसे कावWल गर्ल कहकर पुकारते थे। यह दिनांक 05.03.2004 को हुआ और मृतक लड़की ने 06.03.2004 को आत्महत्या कर ली । रिकार्ड पर रखी गयी सामग्री पर विचार करने पर, वर्तमान मामला उत्तरदाताओं द्वारा कथित तौर पर किए गये उकसावे की कोई तस्वीर पेश नहीं करता है । पीड़ित द्वारा की गई आत्महत्या को उत्तरदाताओं की ओर से किसी भी कार्यवाही का परिणाम नहीं कहा जा सकता है और न ही यह कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं की कार्यवाही के कारण पीड़िता द्वारा आत्महत्या करना उसके लिए एकमात्र विकल्प था। किसी भी उत्तरदाता द्वारा पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था या आग्रह नहीं किया गया था । दिनांक 05.03.2004 को जब मृतक पहली उत्तरदाता के परिसर में गया, तो उसके माता पिता, जो उत्तरदाता संख्या 2 और 3 है, ने उसे कावWल गर्ल के रूप में संबोधित किया । ऐसी सामग्री आईपीसी की धारा 306,34 के तहत अपराध का आरोप विरचित करके मुकदमें को आगे बढ़ाने के लिये पर्याप्त नहीं है। किसी भी उत्तरदाता द्वारा पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए उकसाया या आग्रह या आग्रह नहीं किया गया था । उकसाने का निष्कर्ष निकालने के लिये यह सब मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, क्या आरोपी द्वारा किए गये कृत्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के कार्य होंगे, यह एक ऐसा मामला है जिस पर प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। इस अपील में ऐसा कोई गुण नहीं पाया गया जिससे उच्च न्यायालय के सुविचारित फैसले में हस्तक्षेप किया जा सके।

[पैराज 11,13,16 और 17] [494 - इ - जी, 495 - जी, 496 - ए, इ - जी]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम इन्द्रजीत कुन्दु तथा अन्य।

सोमा चक्रवर्ती बनाम राज्य (2007) 5 एस सी सी 403 [2007]

6 एस सी आर 324, भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार समल (1979) 3 एस सी सी 4: [1979] 2 एस सी आर 229; चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (एन सी टी) दिल्ली (2009) 16 एस सी सी 605: [2009] 13 एस सी आर 230- अप्रयुक्त अभिनिर्धारित किया गया ।

रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एस सी सी 618: [2001] 4 परिशिष्ट एस सी आर 247; संजू अलियास संजय सिंह सेनगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य/(2002) 5 एस सी सी 371: [2002] 3 एस सी आर 668; स्वामी प्रहलाद दास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य/1995 परिशिष्ट (3) एस सी सी 438- पर भरोसा ।

केस कानून संदर्भ [2007] 6 एस सी आर 324 अप्रयुक्त अभिनिर्धारित किया गया पैरा - 8 [1979] 2 एस सी आर 229 अप्रयुक्त अभिनिर्धारित किया गया । पैरा - 8 (1995) परिशिष्ट (3) एस सी सी 438 - पर भरोसा किया । पैरा - 10 [2001] 4 परिशिष्ट एस सी आर 247 पर भरोसा किया। पैरा-12 [2002] 3 एस सी आर 668 पर भरोसा किया । पैरा-13 [2009] 13 एस सी आर 230 अप्रयुक्त अभिनिर्धारित किया गया । पैरा-16

अपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार - आपराधिक अपील सं0 2181/2009 सी. आर. आर. संख्या 3473/2008 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 30.07.2019 से।

सुहान मुखर्जी, एस एस आस्था शर्मा, प्रस्तुत एम. डलवी, अमित वर्मा, अभिषेक मनचंदा, एम. एस. काजल दलाल, नवीन कुमार (एम/एस पी एल आर चेम्बरस और कम्पनी),अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण।

पीयूश राय, एम आर एस. ककाली रावय, विष्णु प्रसाद तिवारी, मिथलेश कुमार सिंह, उत्तरदाताओं के लिये अधिवक्तागण। न्यायालय का निर्णय आर. सुभाष रेड्डी, जे. द्वारा सुनाया गया।

(1). यह अपील पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा गृह विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से सी आर आर संख्या 3473/2008 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 30.07.2019 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।

(2). आक्षेपित आदेश द्वारा आरोपी उत्तरदाताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा- 34 के साथ पठित धारा- 306 के तहत उनके खिलाफ लगाए गए आरोप से मुक्त कर दिया गया। पीड़िता, वास्तव में शिकायतकर्ता की बेटी एक चित्रकार तथा कलाकार थी। अंग्रेजी में उसकी दक्षता में सुधार करने के लिए, पहले उत्तरदाता को उसके अंग्रेजी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उत्तरदाता संख्या 2 वद 3 उसके अभिभावक हैं। कोचिंग के दौरान पीड़िता और प्रथम उत्तरदाता इंद्रजीत के बीच घनिष्ठता विकसित हुयी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि चूंकि मृतक पीड़िता और पहले उत्तरदाता ने शादी करने का फैसला किया था, शादी के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए पीड़िता 05.03.2004 को उत्तरदाता सं0 1 के घर गई थी। आरोप हैं कि जब पीड़िता उत्तरदाता सं0 1 के घर गई, तो उत्तरदाता संख्या 2 और 3, जो पहले उत्तरदाता के माता पिता हैं, चिल्लाने लगे और पीड़िता को कावल गर्ल कहकर संबोधित किया। वास्तविक शिकायतकर्ता के अनुसार उत्तरदाता संख्या 2 और 3 द्वारा कहे गए शब्द हैं ''तुम एक कावल गर्ल हो, मेरा बेटा तुतसे शादी क्यों करेगा, हम अपने बेटे की शादी कहीं और करेंगे।'' शिकायतकर्ता का आरोप है कि उस समय पहले उत्तरदाता ने अपने माता-पिता के संस्करण को विरोध नहीं किया और उसकी बेटी घर लौट आई और मानसिक रूप से परेशान हो गई। दिनांक 06.03.2004 को दोपहर लगभग 1 बजे पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी।

(3). वास्तविक शिकायतकर्ता की शिकायत पर, जोराबागान पुलिस स्टेशन में उत्तरदाताओं के खिलाफ आई पी सी की धारा 306 के तहत मामला र्द किया गया था और उसके बाद आरोप पत्र दायर किया गया था।

(4). दो सुसाइड नोट थे। एक सुसाइड नोट में मृतक ने कहा है कि पहले उत्तरदाता के माता-पिता ने उसे कावल गर्ल कहकर मूर्खतापूर्ण शब्दों में प्रताड़ित किया। एक अन्य नोट में, जो पहले प्रतिवादी को संबोधित था, कहा गया है कि पहले उत्तरदाता के पिता ने उसे कावल गर्ल के रूप में कलंकित किया है और उत्तरदाता सं0 1 ने ऐसे कथनों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आगे कहा गया है कि पहला उत्तरदाता कायर है। विवेचना कर तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 306,34 आई. पी. सी. के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामला ''फास्ट टैªक कोर्ट, सेशन कोर्ट, कलकत्ता को सौंपा गया था, जिसे सेशन केस नंबर 11/2006 के रूप में क्रमांकित किया गया था।

(5). आरोपी उत्तरदाताओं ने पहले आरोप मुक्त करने के लिये आवेदन दायर किया था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने दिनांक- 19.04.2007 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। इसके बाद उत्तरदाताओं ने 2007 की सी आर आर संख्या-1817 में उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 सी आर पी सी के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसे आरोपी उत्तरदाताओं को विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी बिंदु उठाने के निर्देश के साथ निपटाया गया था। आरोप विरचित करने के चरण में उत्तरदाताओं ने यह दावा करते हुये आपत्ति जताई कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम इंद्रजीत कुन्दु और अन्य में उनके विरूद्ध धारा 306,34 आई पी सी के तहत अन्तर्गत कथित अपराध का आरोप विरचित करने का कोई मामला नहीं बनता है। विद्वान अतिरिक्त

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 04.09.2008 के आदेश द्वारा उत्तरदाताओं की आपत्तियों को यह कहते हुये खारिज कर दिया कि चूँकि आरोपी को दोषी ठहराए जाने की संभावना है, इसलिए आरोप विरचित किया जा सकता है। आदेश में यह देखा गया कि आरोपी व्यक्तियों को आई पी सी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराए जाने की उचित संभावना है। उक्त आदेश के खिलाफ, उत्तरदाताओं ने 2008 की सी आर आर संख्या 3473 में धारा 401,482 सी आर पी सी के तहत फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(6) आरोपित आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज करते हुये कहा कि मृतक को कानूनी गर्ल करार देते हुए, ऐसा कोई कथन नहीं था, जिसे मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने, प्रेरित करने या आग्रह करने या उकसाने का कार्य माना जा सके।

इस न्यायालय द्वारा तय किये गए केस कानून का हवाला देते हुये, जिसमें ''जीने और मरने'' जैसे समान कथन उकसावे के लिए अपराध नहीं बनते हैं, ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया। आदेश में यह देखा गया है कि अभियुक्त का कार्य या आचरण चाहे वह कितना भी अपमानजनक और अत्याचारपूर्ण हो, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि यह सुझाव देने में उचित रूप से सक्षम न हो कि अभियुक्त ने ऐसे कृत्यों का इरादा किया था, इसका परिणाम आत्महत्या होगा। इस विषय पर केस लाW पर चर्चा करके, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए आवेदन की अनुमति दी और आरोपी उत्तरदाताओं को आरोप से मुक्त कर दिया।

(7) हमने पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुहान मुखर्जी और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पीजस राWय, को सुना है।

(8) इस अपील में मुख्य रूप से अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में शिकायतकर्ता ने मृतक पीड़िता की अंग्रेजी सुधारने के लिए प्रथम उत्तरदाता को अंग्रेजी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। पीड़िता अभियुक्त संख्या- 1 के घर जाती थी और घनिष्ठता और संबंध विकसित करती थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 05.03.2004 को जब पीड़िता शादी की तारीख तय करने के लिए अभियुक्त के पास गई, तो उत्तरदाता सं0- 2 और 3, जो अभियुक्त संख्या 1 के माता-पिता हैं, चिल्लाए और पीड़िता को काल गर्ल कहा।

पीड़िता परेशान थी और वह घर लौट आई और उसकी बहन ने उसे यह कहकर सांत्वना देने की कोशिश की कि वे आरोपी से बात करेंगे ताकि उनकी शादी हो सके। यह प्रस्तुत किया गया है कि अगले दिन यानी 06.03.2004 को उसने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह प्रस्तुत किया गया है कि सुसाइड नोट से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता जो अभियुक्त है, पीड़ित लड़की की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपने आचरण और कथनों से उन्होंने अपराध को बढ़ावा दिया है, इसलिए उन पर आई पी सी की धारा- 306,34 के तहत अपराध के लिए सही आरोप लगाया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। इसके बावजूद, रिकार्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार किए बिना, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दे दी है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में सोमा चक्रवर्ती बनाम राज्य और भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल के मामलों के निर्णय पर भरोसा जताया।

(9) दूसरी ओर जवान में, अभियुक्त उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि इस अपील के लम्बित रहने के दौरान, दूसरे उत्तरदाता की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जहाँ तक उसका सम्बन्ध है, ऐसी अपील निरस्त हो जाती है। आगे यह कहा गया है कि आई पी सी की धारा 306,34 के तहत अपराध के लिए उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप विरचित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, उच्च न्यायालय ने उचित आदेश द्वारा उनके आवेदन की अनुमति दे दी है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

(10) दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और रिकार्ड पर रखी गई अन्य सामग्री का अवलोकन किया है।

(11) रिकार्ड पर रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं पर मुख्य रूप से मृत लड़की द्वारा लिखे गए आत्महत्या पत्रों और जाँच के दौरान दर्ज किये गये बयानों पर भरोसा करते हुये धारा 306,34 के तहत आरोप लगाने की माँग की गई है। यहाँ तक कि वास्तविक शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 2 और 3, जो पहले उत्तरदाता के माता-पिता हैं, मृत लड़की पर चिल्लाते हुए उसे कWल गर्ल कहकर पुकारते थे। यह दिनांक 05.03.2004 को हुआ था और मृतक लड़की ने दिनांक 06.03.2004 को आत्महत्या कर ली। रिकार्ड पर रखी गई सामग्री पर विचार करते हुए, हमारा यह भी मानना है कि वर्तमान मामला उत्तरदाताओं द्वारा किए गए कथित उकसावे की कोई तस्वीर पेश नहीं करता है। पीड़िता द्वारा की गई आत्महत्या को उत्तरदाताओं की ओर से किसी भी कार्यवाही का परिणाम नहीं कहा जा सकता है और न ही यह कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं की कार्यवाही के कारण पीड़िता द्वारा आत्महत्या करना उसके लिए एकमात्र रास्ता था। किसी भी उत्तरदाता द्वारा पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए उकसाया या प्रेरित या आग्रह नहीं किया गया था। स्वामी प्रहलाद दास बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य (2007) 5 एस सी सी 403 2 (1979) 3 एस सी सी 4,3 1995 परिशिष्ट (3) एस सी सी 438 पश्चिम बंगाल राज्य बनाम इंद्रजीत कुन्दु तथा अन्य [आर0 सुभाष रेड्डी, जे0] के मामले इस न्यायालय ने पति-पत्नी के बीच झगड़े के दौरान पति द्वारा कहे गए 'जाओ और मर जाओ' जैसे कथनों पर विचार करते हुए माना कि ऐसे शब्दों का उच्चारण सीधे तौर पर आत्महत्या करने का कारण नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय ने माना कि सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को मुकदमें का सामना करने के लिए बुलाकर गलती की और कार्यवाही रद्द कर दी।

(12) रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में निर्णय में इस न्यायालय ने आई पी सी की धारा 107 में निर्धारित धारा 306 के दायरे और दुस्प्रेरण के लिए आवश्यक सामग्री पर विचार किया है। ''उकसाने'' शब्द की व्याख्या करते समय इसे पैराग्राफ 20 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

''20 उकसाने का अर्थ है उकसाना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना उकसाना आमंत्रित करना या ''किसी कार्य'' को करने के लिए प्रोत्साहित करना। उकसाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए या जो उकसावे का गठन करता है वह आवश्यक रूप से विशेष रूप से परिणाम का विचारोत्तेजक होना चाहिए। फिर भी परिणाम को आमंत्रित करने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। वर्तमान मामला ऐसा नही है जहाँ अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक से या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, जिस स्थिति में उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता था। क्रोध या भावना के आवेश में बिना इसके वास्तविक परिणाम भुगतने का इरादा किए बिना बोला गया कोई शब्द उकसाना नहीं कहा जा सकता।''

(13) इसी प्रकार संजू उर्फ संजय सिंह सेंगर बनाम म0प्र0 राज्य के मामले में भी निर्णय दिया गया जब पति और पत्नी के बीच कोई झगड़ा हुआ हो, जिसमें पति मे कहा हो कि उसने मृतक ''जाओ और मर जाओ'' कहा था, तो इस न्यायालय ने माना है कि उसके दो दिन बाद की गई आत्महत्या झगड़े का कारण नहीं थी, हालांकि मृतक का नाम था सुसाइड नोट में और आत्महत्या झगड़े का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं थी, जब आपत्तिकर्ता ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और मृतक से कहा कि जाओ और मर जाओ। ऊपर दिए गये निर्णय उत्तरदाताओं के मामले का समर्थन करते हैं, सिवाय इसके कि 05.03.2004 को जब मृतक पहले उत्तरदाता के परिसर में गयी तो उसके माता-पिता ने जो उत्तरदाता सं0-2 और 3 है, उसे कWल गर्ल के रूप में संबोधित किया। साथ ही ऊपर दिये गये निर्णयों को लागू करने से हमारा मानना है कि ऐसी सामग्री आई पी सी की धारा 306,34 के तहत अपराध का आरोप विरचित करके मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिये पर्याप्त नहीं है। (2001) 9 एस सी सी 618, 5 (2002) 5 एस सी सी 371 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस (2019) 13 एस0 सी0 आर0। सामग्री से यह भी

स्पष्ट है कि किसी भी उत्तरदाता द्वारा पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए कोई उकसाया या प्रेरित या आग्रह नहीं किया गया था।

(14) अपीलकर्ता राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सीमा चक्रवर्ती (सुप्रा) के मामले में निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसमें इस न्यायालय ने माना था कि जब यह दिखाने के लिए सामग्री हो कि अभियुक्त ने अपराध किया हो तो वह आरोप विरचित कर सकता है और रिकार्ड पर मौजूद सामग्री के संभावित मूल्य पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष विचार नहीं किया जा सकता है।

(15) भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल (सुप्रा) के मामले में निर्णय पर भरोसा किया गया है, जहाँ इस न्यायालय ने माना है कि आरोप विरचित करने के सवाल पर विचार करते समय न्यायाधीश के पास सीमित उद्देश्य के लिये सबूतों को छांटने और तौलने की निस्संदेह शक्ति है, यह पता लगाने के लिए कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

(16) चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (एन सी टी) दिल्ली के मामले में राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये निर्णय पर भरोसा करते हुये, इस न्यायालय ने माना है कि जहाँ अभियुक्त अपने कृत्यों से या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करता है कि मृतक आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है, एक ''उकसाने'' का अनुमान लगाया जा सकता है । उकसाने का निष्कर्ष निकालने के लिये यह सब मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, क्या अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने का कार्य होगा, यह एक ऐसा मामला है जिस पर प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। इस प्रकार हमारा विचार है कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे उनके तर्कों का समर्थन करने में सहायता नहीं करेंगे ।

(17) उपरोक्त कारणों से, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है जिससे उच्च न्यायालय के तर्कसंगत निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके तदनुसार यह अपील खारिज कर दी जाती है । अपील खारिज की जाती है। (2009) 16 एस सी सी 605

Divya Singh
Principal Magistrate/
Judicial Magistrate
J.J.B., Raebareli